



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271284
CG-DL-E-27032026-271284

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2026/ चैत्र 3, 1948

No. 207]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/ CHAITRA 3, 1948

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2026

दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2026
(2026 का 01)

फा. सं. M-6/(2)/2023-FEA-I.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) के साथ पठित धारा 11 की उप धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात्:

- (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2026 कहा जाएगा।
(2) यह अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
- दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खंड 7 में (इसके बाद "मूल टैरिफ आदेश" के रूप में संदर्भित)-
(क) उपखंड (iii) के लिए, निम्नलिखित उप-खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा

"(iii) यदि कोई सेवा प्रदाता रिपोर्टिंग आवश्यकता का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह लाइसेंस के निबंधन और शर्तों, या अधिनियम के प्रावधानों या नियमों या विनियमों या किए गए आदेशों या उसके तहत जारी किए गए निर्देशों पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, पहले सात दिनों के लिए देरी के प्रत्येक दिन के लिए वित्तीय निरुत्साहन के माध्यम से दस हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और यदि यह उल्लंघन सात

दिनों से अधिक समय तक जारी रहता है, तो वह विलंब के प्रत्येक बाद के दिन के लिए, जब तक चूक जारी रहती है, बीस हजार रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा—बशर्ते कि यह कुल राशि पाँच लाख रुपये से अधिक न हो, जैसा कि प्राधिकरण किसी आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है।

बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा वित्तीय निरुत्साहन के लिए किसी भी राशि के भुगतान का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा पाए गए टैरिफ आदेश के उल्लंघन के मामले में अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो;

बशर्ते जहाँ प्राधिकरण को सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण उचित प्रतीत होते हों, वहाँ प्राधिकरण वित्तीय निरुत्साहन को माफ अथवा वित्तीय निरुत्साहन की राशि को कम कर सकता है।

(ख) उपखंड (iii) के बाद, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(iv) यदि कोई सेवा प्रदाता वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान के लिए आदेश में निर्धारित अवधि के अंदर उप-खंड (iii) के तहत वित्तीय निरुत्साहन की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह वित्तीय निरुत्साहन की बकाया राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लागू भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट से दो प्रतिशत अधिक होगी, जिसमें निर्धारित अवधि का अंतिम दिन पड़ता है।”

स्पष्टीकरण: इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, ब्याज की गणना करने हेतु महीने के किसी भी एक हिस्से को एक पूर्ण कैलेंडर महीने के रूप में गिना जाएगा, और महीने की गणना अंग्रेजी कैलेंडर महीने के अनुसार होगी।

3. मूल टैरिफ आदेश के खंड 7ए को हटा दिया जाएगा।

डी. मनोज, प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए)

[विज्ञापन-III/4/असा./783/2025-26

नोट 1.—दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, धारा 4 में अधिसूचना संख्या 99/3 दिनांक 9 मार्च, 1999 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था तथा तत्पश्चात इसे नीचे दिए अनुसार संशोधित किया गया:

संशोधन क्रमांक	अधिसूचना संख्या और दिनांक
पहला	301-4/99-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 30.03.1999
दूसरा	301-4/99-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 31.05.1999
तीसरा	301-4/99-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 31.05.1999
चौथा	301-4/99-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 28.07.1999
पांचवां	301-4/99-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 17.09.1999
छठा	301-4/99-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 30.09.1999
सातवां	301-8/2000-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 30.03.2000
आठवां	301-8/2000-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 31.07.2000
नौवां	301-8/2000-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 28.08.2000
दसवां	306-1/99-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 09.11.2000
ग्यारहवां	310-1(5)/भादूविप्रा-2000 दिनांक 25.01.2001
बारहवां	303-1/2000-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 25.01.2001
तेरहवां	303-4/ भादूविप्रा-2001 दिनांक 01.05.2001
चौदहवां	306-2/भादूविप्रा-2001 दिनांक 24.05.2001

पंद्रहवां	310-1(5)/ भादूविप्रा-2000 दिनांक 20.07.2001
सोलहवां	310-5(17)/2001-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 14.08.2001
सत्रहवां	301/2/2002-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 22.01.2002
अठारहवां	303/3/2002-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 30.01.2002
उन्नीसवां	303/3/2002-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 28.02.2002
बीसवां	312-7/2001-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 14.03.2002
इक्कीसवां	301-6/2002-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 13.06.2002
बाईसवां	312-5/2002- भादूविप्रा(इको) दिनांक 04.07.2002
तेईसवां	303/8/2002-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 06.09.2002
चौबीसवां	306-2/2003- इकाँन दिनांक 24.01.2003
पच्चीसवां	306-2/2003- इकाँन दिनांक 12.03.2003
छब्बीसवां	306-2/2003-इकाँन दिनांक 27.03.2003
सत्ताईसवां	303/6/2003-भादूविप्रा(इकाँन) दिनांक 25.04.2003
अट्ठाईसवां	301-51/2003-इकाँन दिनांक 05.11.2003
उनतीसवां	301-56/2003-इकाँन दिनांक 03.12.2003
तीसवां	301-4/2004(इकाँन) दिनांक 16.01.2004
इकतीसवां	301-2/2004-इको दिनांक 07.07.2004
बत्तीसवां	301-37/2004-इको दिनांक 07.10.2004
तैंतीसवां	301-31/2004- इको दिनांक 08.12.2004
चौंतीसवां	310-3(1)/2003- इको दिनांक 11.03.2005
पैंतीसवां	310-3(1)/2003- इको दिनांक 31.03.2005
छत्तीसवां	312-7/2003-इको दिनांक 21.04.2005
सैंतीसवां	312-7/2003-इको दिनांक 02.05.2005
अड़तीसवां	312-7/2003-इको दिनांक 02.06.2005
उनतालीसवां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 08.09.2005
चालीसवां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 16.09.2005
इकतालीसवां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 29.11.2005
बयालीसवां	301-34/2005-इको दिनांक 07.03.2006
तैंतालीसवां	301-2/2006-इको दिनांक 21.03.2006
चवालीसवां	301-34/2006-इको दिनांक 24.01.2007
पैंतालीसवां	301-18/2007-इको दिनांक 05.06.2007
छियालीसवां	301-36/2007-इको दिनांक 24.01.2008
सैंतालीसवां	301-14/2008-इको दिनांक 17.03.2008
अड़तालीसवां	301-31/2007-इको दिनांक 01.09.2008
उनचासवां	301-25/2009-ईआर दिनांक 20.11.2009
पचासवां	301-24/2012- ईआर दिनांक 19.04.2012

इक्यावनवां	301-26/2011- ईआर दिनांक 20.04.2012
बावनवां	301-41/2012-एफएण्डईए दिनांक 19.09.2012
तिरपनवां	301-39/2012-एफएण्डईए दिनांक 01.10.2012
चौवनवां	301-59/2012-एफएण्डईए दिनांक 05.11.2012
पचपनवां	301-10/2012-एफएण्डईए दिनांक 17.06.2013
छप्पनवां	301-26/2012-ईआर दिनांक 26.11.2013
सत्तावनवां	312-2/2013-एफएण्डईए दिनांक 14.07.2014
अट्ठावनवां	312-2/2013-एफएण्डईए दिनांक 01.08.2014
उनसठवां	310-5 (2)/2013-एफएण्डईए दिनांक 21.11.2014
साठवां	301-16/2014-एफएण्डईए दिनांक 09.04.2015
इकसठवां	301-30/2016-एफएण्डईए दिनांक 22.11.2016
बासठवां	301-30/2016-एफएण्डईए दिनांक 27.12.2016
तिरसठवां	312-1/2017-एफएण्डईए दिनांक 16.02.2018
चौंसठवां	301-20/2018-एफएण्डईए दिनांक 24.09.2018
पैंसठवां	301-03/2020-एफएण्डईए दिनांक 03.06.2020
छियासठवां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 27.01.2022
सत्तासठवां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 31.03.2022
अडसठवां	सी/(5)/2021-एफईए-II दिनांक 07.04.2022
उनहत्तरवां	सी/(2)/2021-एफईए-I दिनांक 06.12.2022
सत्तरवां	आरजी-13/1/(1)/2023-एडीवी_एफईए-I दिनांक 23.12.2024
इकहत्तरवां	आरजी-(6)/2024- एफईए-II दिनांक 16.06.2025

नोट 2.— व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2026 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

परिचय और पृष्ठभूमि

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा गया है) को विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए दरों को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करती है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ अधिसूचित करता रहा है।
2. भारत में दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ विनियमन की शुरुआत *दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999* (जिसे आगे "टीटीओ, 1999" कहा गया है) की अधिसूचना के साथ की गई थी। इस टैरिफ आदेश ने देश में दूरसंचार सेवाओं के लिए व्यापक और दीर्घकालिक नीतिगत रूपरेखा प्रदान की। टीटीओ, 1999 के माध्यम से आरंभ किए गए टैरिफ सुधारों का उद्देश्य टैरिफ के विनियमन के लिए एक सुसंगत और पारदर्शी रूपरेखा प्रदान करना था, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ विनियमन और/या प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वहन करने योग्य मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें; सब्सिडी की पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके तथा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नीतियों को बेहतर ढंग से लक्षित करने के लिए आधार प्रदान किया जा सके; और उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं की उपलब्धता में सुधार किया जा सके।
3. भादूविप्रा ने वर्षों के दौरान 'टैरिफ दरों के निर्धारण' की अवस्था से 'पूर्व अनुमोदन के साथ फॉरबेयर्स' की अवस्था और अंततः विनियामक निगरानी के साथ 'पश्चात रिपोर्टिंग दायित्व सहित फॉरबेयर्स व्यवस्था' की अवस्था तक

प्रगति की है। वर्तमान में दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ फॉरबेयरेंस के अधीन हैं, सिवाय ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाओं, राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, लीज्ड सर्किट्स तथा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डेटा (यूएसएसडी) के।

4. किसी सेवा के लिए टैरिफ फॉरबेयरेंस का अर्थ यह है कि भादूविप्रा ने उस विशेष दूरसंचार सेवा के लिए फिलहाल कोई टैरिफ अधिसूचित नहीं किया है और सेवा प्रदाता निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए ऐसी सेवा के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। टैरिफ फॉरबेयरेंस कभी भी भादूविप्रा द्वारा अपनाई गई स्थायी नीति नहीं रही है और न ही है। यदि परिस्थितियाँ इसकी मांग करती हैं, तो प्राधिकरण के लिए यह सदैव खुला रहता है कि वह फॉरबेयरेंस व्यवस्था से पूर्णतः या आंशिक रूप से वापस आ सके, जिसमें रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में परिवर्तन करने का विकल्प भी सम्मिलित है। ऐसे उदाहरण पहले से विद्यमान हैं, जहाँ प्राधिकरण ने उन सेवाओं के संबंध में टैरिफ निर्धारित करने के लिए हस्तक्षेप किया है, जिन्हें प्रारम्भ में फॉरबेयरेंस के अधीन रखा गया था।
5. उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भादूविप्रा को विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है। तथापि, प्रचलित बाज़ार परिदृश्य के आधार पर फॉरबेयरेंस को अपनाने से समय के साथ दूरसंचार बाज़ार की संरचना और कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
6. फॉरबेयरेंस की नीति ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को टैरिफ निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप बाज़ार में नए और नवोन्मेषी उत्पादों का उद्भव हुआ है, जिन्हें उपभोक्ताओं को वहन करने योग्य और प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस दृष्टि से, फॉरबेयरेंस ने डिजिटल संपर्क के विस्तार तथा उपभोक्ता-प्रेरित दूरसंचार ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के व्यापक नीतिगत उद्देश्य का समर्थन किया है।
7. उपर्युक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि यद्यपि टैरिफ फॉरबेयरेंस लचीलापन प्रदान करता है तथा प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहित करता है, तथापि यह सेवा प्रदाताओं को कोई निहित अधिकार प्रदान नहीं करता है। फॉरबेयरेंस एक नीतिगत साधन है जिसे प्राधिकरण द्वारा व्यापक जनहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाया गया है और जिसे बाज़ार की परिस्थितियों तथा उभरते जोखिमों के आधार पर किसी भी समय पुनरीक्षित या संशोधित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ फॉरबेयरेंस का अर्थ विनियामक निष्क्रियता नहीं है। प्राधिकरण किसी भी समय टैरिफ निर्धारण के लिए पूर्व अनुमोदन व्यवस्था अपनाते हुए हस्तक्षेप कर सकता है।
8. फॉरबेयरेंस व्यवस्था के परिणामस्वरूप संकेंद्रित बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण की संभावना उत्पन्न हो सकती है, जहाँ प्रभुत्वशाली संचालक छोटे प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करने के लिए अव्यवहार्य रूप से कम मूल्य प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा और विकल्पों में कमी आ सकती है। इससे पुनर्प्राप्ति (रिकूपमेंट) की संभावना उत्पन्न होती है, जिसमें प्रभुत्वशाली संचालक बाद में मूल्य बढ़ाकर एकाधिकार स्तर तक ले जा सकते हैं और हुए घाटे की भरपाई कर सकते हैं।
9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, टैरिफ फाइलिंग को कोई मामूली या तकनीकी आवश्यकता नहीं माना जा सकता। बल्कि, यह एक महत्वपूर्ण विनियामक दायित्व है जो फॉरबेयरेंस नीति की आधारशिला का निर्माण करता है। इस रूपरेखा के अंतर्गत, प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं को निर्देश देता है कि वे कार्यान्वयन के सात कार्य दिवसों के भीतर नए टैरिफ प्रस्तावों अथवा उनमें किए गए परिवर्तनों की सूचना प्रस्तुत करें।
10. वर्ष 2012 में प्राधिकरण ने यह पाया कि टैरिफ की रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित समय-सीमाओं का सेवा प्रदाताओं द्वारा गंभीरता से पालन नहीं किया जा रहा था और इससे उन सेवा प्रदाताओं को प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था जो नियमित रूप से अपने टैरिफ प्लान समय पर प्रस्तुत करते थे। टैरिफ रिपोर्टिंग में समय-सीमा का पालन न करने से प्राधिकरण को उस स्थिति में समय पर हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिल पाता था, जब संबंधित टैरिफ विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया जाता था और/या उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था। अतः प्राधिकरण ने टैरिफ रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रत्येक दिन की देरी के लिए वित्तीय निरुत्साहन लागू करने का निर्णय लिया, जिसकी अधिकतम सीमा प्रत्येक देरी के मामले में ₹ 2 लाख निर्धारित की गई। तदनुसार, खंड 7 में उप-खंड (iii) जोड़ा गया।
11. इसके अतिरिक्त, खंड 7ए जोड़ा गया, जिसमें उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की स्थिति में सेवा प्रदाताओं द्वारा देय वित्तीय निरुत्साहनों का प्रावधान किया गया। इस खंड के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में प्राधिकरण के संज्ञान में यह आता है कि टीटीओ, 1999 तथा अन्य विनियामक दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन

करते हुए अतिरिक्त शुल्क वसूल किया गया है और उसे प्रभावित ग्राहकों को वापस करने का आदेश दिया गया है, ऐसे मामलों में सेवा प्रदाता उक्त धनवापसी के अतिरिक्त, वित्तीय निरुत्साहन के रूप में, ग्राहकों से वसूली गई उस अतिरिक्त राशि की कुल राशि से अधिक न होने वाली राशि भादूविप्रा को जमा करेंगे।

दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश का मसौदा:

12. विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने में वित्तीय निरुत्साहनों की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संबंधित विनियामक प्रावधानों में संशोधन करने हेतु, प्राधिकरण ने यह दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश का मसौदा प्रस्तुत किया है। इस मसौदा परामर्श में अधिकतम सीमा निर्धारित करने, उल्लंघन की गंभीरता के अनुरूप क्रमिक (ग्रेडेड) तरीके से वित्तीय निरुत्साहन लागू करने तथा वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान में चूक होने की स्थिति में ब्याज लगाने का प्रावधान सम्मिलित था।
13. प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2025 का मसौदा 16.10.2025 को जारी किया। इस मसौदे में वित्तीय निरुत्साहन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तावित किए गए थे:—

क. उप-खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(iii) यदि कोई सेवा प्रदाता रिपोर्टिंग आवश्यकता का पालन करने में विफल रहता है, तो वह, अपने लाइसेंस के नियमों एवं शर्तों या अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या आदेशों अथवा जारी किए गए निर्देशों के प्रावधानों के प्रतिकूल हुए बिना, वित्तीय निरुत्साहन के रूप में, पहले सात दिनों के लिए प्रत्येक दिन की देरी के लिए ₹10,000 की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा यदि उल्लंघन सात दिनों से अधिक अवधि तक जारी रहता है, तो चूक की निरंतरता की अवधि के दौरान प्रत्येक आगामी दिन की देरी के लिए अतिरिक्त ₹20,000 की राशि देय होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5 लाख होगी, जैसा कि प्राधिकरण आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है:

बशर्ते कि— प्राधिकरण द्वारा वित्तीय निरुत्साहन के रूप में किसी राशि के भुगतान के संबंध में कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा प्रेक्षित टैरिफ आदेश के उल्लंघन के विरुद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तिसंगत अवसर न प्रदान किया गया हो:

परंतु यह भी कि— यदि सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत कारणों में प्राधिकरण को पर्याप्त औचित्य प्रतीत होता है, तो प्राधिकरण वित्तीय निरुत्साहन को माफ कर सकता है अथवा वित्तीय निरुत्साहन की कम राशि आरोपित कर सकता है;

(b) उप-खंड (iii) के पश्चात निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

- (iv) यदि कोई सेवा प्रदाता वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान के लिए आदेश में निर्धारित अवधि के भीतर उप-खंड (iii) के अधीन देय वित्तीय निरुत्साहन की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह वित्तीय निरुत्साहन की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसकी दर उस वित्तीय वर्ष के आरंभ में लागू भारतीय स्टेट बैंक की एक-वर्षीय सीमांत उधार लागत दर से दो प्रतिशत (2%) अधिक होगी, जिसमें निर्धारित अवधि का अंतिम दिन आता है।

स्पष्टीकरण: इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, ब्याज की गणना के उद्देश्य से माह का कोई भी भाग पूर्ण कैलेंडर माह माना जाएगा तथा माह को अंग्रेज़ी कैलेंडर माह के रूप में माना जाएगा।

3. मूल टैरिफ आदेश का खंड 7ए विलोपित किया जाएगा।

14. हितधारकों को मसौदा टीटीओ पर अपनी टिप्पणियाँ 07.11.2025 तक प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मसौदा परामर्श के प्रत्युत्तर में विभिन्न हितधारकों, जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, संघों तथा अन्य हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।

हितधारकों की टिप्पणियों का परीक्षण तथा दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश

15. प्राधिकरण ने वित्तीय निरुत्साहन रूपरेखा में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का परीक्षण किया है। मसौदा टीटीओ पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ तथा प्राधिकरण द्वारा उनका परीक्षण/विक्षेपण निम्नलिखित बिंदुओं में दिया गया है।
16. दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश के मसौदे के समर्थन में, एक हितधारक ने उल्लेख किया कि प्रस्तावित

संशोधन विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक साधन के रूप में वित्तीय निरुत्साहनों की प्रभावशीलता को बढ़ाकर मौजूदा विनियामक रूपरेखा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए हैं। हितधारक ने यह भी उल्लेख किया कि क्रमिक (ग्रेडेड) वित्तीय निरुत्साहन संरचना का लागू किया जाना निष्पक्षता और समानुपातिकता के सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि इसका उद्देश्य निरुत्साहनों की मात्रा को एक समान या मनमाने दृष्टिकोण को अपनाने के बजाय उल्लंघन की गंभीरता के साथ तालमेल बैठाना है।

17. कुछ हितधारकों ने वित्तीय निरुत्साहनों पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने, अनुपालन न करने की गंभीरता के आधार पर क्रमिक निरुत्साहनों को लागू करने तथा भुगतान में विलंब के मामलों में ब्याज लगाने के प्रस्ताव की भी सराहना की है। इसके अतिरिक्त, खंड 7ए को हटाने के प्रस्ताव को भी हितधारकों ने सकारात्मक रूप से देखा है, यह कहते हुए कि इससे विनियामक अतिव्यापन समाप्त होगा और दोहराव से बचाव होगा, जिससे अनुपालन दायित्वों को सरल बनाया जा सकेगा।
18. दूसरी ओर, कुछ हितधारकों ने प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में पारदर्शिता और औचित्य की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की है। इस संदर्भ में प्राधिकरण का मत है कि क्रमिक (ग्रेडेड) वित्तीय निरुत्साहनों की व्यवस्था लागू करने से यह सुनिश्चित होगा कि लगाया गया दंड उल्लंघन की गंभीरता, सेवा प्रदाता के आशय तथा उल्लंघन के प्रभाव के अनुरूप हो। क्रमिक वित्तीय निरुत्साहन का उद्देश्य निरुत्साहन की राशि को अनुपालन न करने की प्रकृति और गंभीरता से जोड़ना है, न कि एक समान दंड लागू करना। ऐसा दृष्टिकोण विनियामक फ्रेमवर्क की अखंडता बनाए रखने तथा हितधारकों को निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने से अत्यधिक उच्च दंड अथवा दंडात्मक परिणामों को रोका जा सकता है, विशेषकर उन मामलों में जहाँ उल्लंघन मामूली तौर पर या अनजाने में हुआ हो। सीमा-निर्धारित रूपरेखा यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय निरुत्साहन प्रभावी निरोधक के रूप में कार्य करें, बिना सेवा प्रदाताओं पर अनावश्यक वित्तीय दबाव डाले, विशेषकर छोटे संस्थानों पर, जिससे सेवा की निरंतरता और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय निरुत्साहनों के भुगतान में विलंब या भुगतान न करने की स्थिति में ब्याज लगाने का प्रस्ताव जानबूझकर किए गए विलंब को हतोत्साहित करने और विनियामक आदेशों के समयबद्ध अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। यह उपाय न केवल समय पर और उत्तरदायी वित्तीय आचरण को प्रोत्साहित करता है, बल्कि विनियामक दायित्वों के पालन के महत्व को भी सुदृढ़ करता है। इस प्रकार के दृष्टिकोण प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य विनियमों में पहले से ही अपनाए जा रहे हैं तथा यह दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत निर्धारित रूपरेखा के अनुरूप भी है।
19. कुछ हितधारकों ने मौजूदा उपायों की प्रभावशीलता के संबंध में चिंता व्यक्त की है। इस संदर्भ में प्राधिकरण का मत है कि यह वर्तमान आदेश अनुपालन सुनिश्चित करने में वित्तीय निरुत्साहनों की प्रभावशीलता को बढ़ाकर संबंधित विनियामक प्रावधानों को सुदृढ़ करेगा। इन संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक उपयुक्त अधिकतम सीमा निर्धारित करने, उल्लंघन की गंभीरता के अनुरूप एक क्रमिक (ग्रेडेड) संरचना लागू करने तथा वित्तीय निरुत्साहनों के भुगतान में विलंब की स्थिति में ब्याज लगाने का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण का दृढ़ मत है कि टैरिफ फाइलिंग को किसी मामूली अथवा केवल प्रक्रियात्मक आवश्यकता के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके विपरीत, यह एक मौलिक विनियामक दायित्व है और फॉरबेयर्स व्यवस्था की आधारशिला का निर्माण करता है। समय पर और सही रिपोर्टिंग में किसी भी प्रकार की चूक के व्यापक प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव उपभोक्ताओं तथा बाजार के सुव्यवस्थित संचालन पर पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि टैरिफ रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अधिक कठोरता से पालन किया जाए, ताकि प्राधिकरण पारदर्शिता, गैर-भेदभाव तथा गैर-शोषण मूल्य निर्धारण के मूल सिद्धांतों के संदर्भ में टैरिफ का बिना विलंब परीक्षण कर सके।
20. कुछ हितधारकों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 प्राधिकरण को प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से मौद्रिक दंड या वित्तीय निरुत्साहन आरोपित करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस संदर्भ में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 का उल्लेख किया जाता है, जो प्राधिकरण को न केवल विनियमन करने की शक्ति प्रदान करता है, बल्कि विनियमों तथा टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की शक्ति भी प्रदान करता है। "सुनिश्चित करना" शब्द का अनिवार्य आशय है, जिसका अर्थ है "निश्चित करना"। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 17 अगस्त, 2007 के निर्णय में, सिविल अपील संख्या 2104/2006 (सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और अन्य बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य) में, अन्य बातों के साथ यह प्रतिपादित किया कि "यह सुव्यवस्थित विधि सिद्धांत है कि विनियमन करने की शक्ति में उसके प्रवर्तन की शक्ति भी निहित होती है"। भारतीय दूरसंचार विनियामक

प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधिनियमन के प्रमुख उद्देश्य, जैसा कि उसकी प्रस्तावना से स्पष्ट होता है, और जो भादूविप्रा पर भी लागू होते हैं, दूरसंचार सेवाओं का विनियमन करना, दूरसंचार सेवाओं के सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा दूरसंचार क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करना हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के विभिन्न प्रावधानों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि विधायिका द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया गया है।

21. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का दायित्व प्राधिकरण पर आरोपित करने के अतिरिक्त, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(डी) के अंतर्गत भादूविप्रा को ऐसी अन्य कार्यवाहियाँ करने की शक्ति भी प्रदान की गई है, जिनमें ऐसे प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्य भी सम्मिलित हैं जो अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों। उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों में माननीय न्यायालय ने बार-बार यह सिद्धांत पुनः प्रतिपादित किया है कि किसी विधि को इस प्रकार पढ़ा और व्याख्यायित किया जाना चाहिए जिससे उसके अधिनियमन के उद्देश्य की पूर्ति हो, न कि इस प्रकार जिससे उसके मुख्य उद्देश्यों का हास हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय *कर्नाटक राज्य बनाम विश्वभारती हाउस विलिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ और अन्य [(2004) 5 SCC 430]* में माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय *अरविंद दास और अन्य बनाम असम राज्य और अन्य [AIR 1981 Gau 18 (FB)]* का उल्लेख करते हुए कहा कि जहाँ किसी अधिनियम द्वारा कोई शक्ति प्रदान की जाती है, वहाँ ऐसी शक्ति का यह भी अभिप्राय होता है कि उस शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक वैध कदम उठाए जा सकते हैं, भले ही ऐसे कदम अधिनियम में स्पष्ट रूप से वर्णित न किए गए हों। माननीय न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि यह निर्धारित करते समय कि किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा दावा की गई कोई शक्ति उस अधिनियम द्वारा विशेष रूप से प्रदान की गई शक्तियों के परिशिष्ट या सहायक रूप में मानी जा सकती है या नहीं, न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या ऐसी शक्ति अधिनियम के प्रावधानों से युक्तिसंगत निहितार्थ के रूप में प्राप्त होती है तथा क्या ऐसी शक्तियाँ उन उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हैं जिनके लिए अधिनियम द्वारा प्राधिकरण को यह शक्ति प्रदान की गई है।
22. यहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय *यू.पी. कोऑपरेटिव केन यूनियंस फेडरेशन्स बनाम वेस्ट यू.पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन और अन्य (AIR 2004 SC 3697)* का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है, जिसमें माननीय न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ, यह प्रतिपादित किया कि “विनियमित करना” शब्द व्यापक प्रभाव वाला पद है, जिसका अर्थ विस्तृत है और जो न केवल अधिनियम में विशेष रूप से निर्दिष्ट पहलुओं को समाहित करता है, बल्कि सद्भावना से परिकल्पित विनियमन से संबद्ध सहायक शक्तियों को भी अपने अंतर्गत समेटता है, तथा इसका अर्थ उस संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया गया है और उस अधिनियम के उद्देश्य के आधार पर भी। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि भले ही अधिनियम में टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति स्पष्ट रूप से प्रदान न की गई हो, तथापि गन्ने के मूल्य के विनियमन की शक्ति में टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति भी निहित होगी। दूसरे शब्दों में, कोई ऐसी शक्ति जो प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई हो, वह भी प्रदत्त मानी जाएगी यदि वह विनियमन की व्यापक और सामान्य शक्ति के प्रयोग के लिए अंतर्निहित रूप से आवश्यक हो।
23. उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्राधिकरण को विनियमों तथा टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुपालन न करने की स्थिति में सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरुत्साहन आरोपित करने की शक्ति प्राप्त है। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ आदेशों के संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में वित्तीय निरुत्साहन आरोपित करते हुए इस शक्ति का प्रयोग किया है।
24. कुछ हितधारकों ने उल्लेख किया है कि वित्तीय निरुत्साहनों में प्रस्तावित वृद्धि असंगत है तथा वर्तमान अधिकतम सीमाएँ और दरें या तो यथावत रखी जानी चाहिए अथवा उनका युक्तिसंगत पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में प्राधिकरण का मत है कि प्रस्तावित संरचना समानुपातिक है तथा भादूविप्रा के मूल अधिदेश को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वित्तीय निरुत्साहन तंत्र सात-दिवसीय रिपोर्टिंग चक्र पर कार्य करता है, जिसमें समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दंड क्रमिक रूप से बढ़ते हैं। प्रारंभिक सात दिनों तक की देरी के लिए ₹10,000 का वित्तीय निरुत्साहन लागू होगा। सात दिनों से अधिक की देरी की स्थिति में प्रत्येक आगामी दिन के लिए ₹20,000 की अतिरिक्त राशि लागू होगी। यह क्रमिक व्यवस्था एक ओर स्पष्ट अवकाश अवधि प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर क्रमशः अधिक प्रभावी निरोधक उपाय भी सुनिश्चित करती है। प्राधिकरण का यह भी मत है कि ये वित्तीय निरुत्साहन न तो अत्यधिक हैं और न ही मनमाने, बल्कि इन्हें टैरिफ रिपोर्टिंग की महत्वता के अनुरूप निर्धारित किया गया है। प्राधिकरण को टैरिफ की रिपोर्टिंग में किसी भी प्रकार की देरी टैरिफ आकलन के मूल सिद्धांतों— अर्थात् भेदभाव-रहितता, गैर-शोषण मूल्य निर्धारण तथा पारदर्शिता—को कमजोर कर सकती है। चूँकि टैरिफ का

देशभर के उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, इसलिए रिपोर्टिंग में विलंब विनियामक परीक्षण से बच निकलने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिससे संभावित रूप से भेदभावपूर्ण आचरण, परभक्षी मूल्य निर्धारण तथा ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन के विस्तार की संभावना बढ़ सकती है। प्राधिकरण का मत है कि वित्तीय निरुत्साहनों की यह रूपरेखा समयबद्ध रिपोर्टिंग अनुपालन सुनिश्चित करेगी, जो वहनीयता और प्रतिस्पर्धा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

25. कुछ हितधारकों ने उल्लेख किया है कि पहली बार होने वाली या अनजाने में हुई देरी को मामूली प्रक्रियात्मक चूक के रूप में देखा जाना चाहिए तथा वित्तीय निरुत्साहन मुख्यतः बार-बार होने वाले या जानबूझकर किए गए अनुपालन-उल्लंघन के मामलों में ही लागू किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इस आदेश में पहले से ही ऐसा प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत प्राधिकरण, यदि सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत कारणों में पर्याप्त औचित्य पाता है, तो वित्तीय निरुत्साहन को माफ कर सकता है अथवा आरोपित राशि को कम कर सकता है। यह प्रावधान विनियामक प्रवर्तन में एक सुरक्षा-तंत्र के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि इससे सभी मामलों में एक समान दंड लागू करने की स्थिति से बचाव होगा।
26. यह प्रावधान हितधारकों द्वारा दिए गए उन सुझावों का भी ध्यान रखता है जिनमें कहा गया था कि वित्तीय निरुत्साहन आरोपित करते समय उल्लंघन की महत्वपूर्णता, अनुपालन न करने के प्रभाव तथा सेवा प्रदाताओं के अनुपालन अभिलेख को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह खंड ऐसी स्थिति में वित्तीय निरुत्साहन को पूर्णतः माफ करने या उसकी राशि को कम करने की अनुमति देता है, यदि सेवा प्रदाता ऐसे कारण प्रस्तुत करता है जिन्हें प्राधिकरण ठोस और युक्तिसंगत मानता है। इस प्रकार यह प्रावधान कड़े अनुपालन और निष्पक्षता के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे सेवा प्रदाताओं पर अनावश्यक कठिनाई डाले बिना विनियामक उद्देश्यों को बनाए रखा जा सके।
27. हितधारकों ने इस बात पर भी बल दिया है कि प्रस्तावित रूपरेखा को जन विश्वास विधेयक, 2025 तथा ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस एजेंडा जैसे व्यापक नीतिगत उद्देश्यों के साथ समन्वित किया जाना चाहिए, और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वित्तीय निरुत्साहनों का उद्देश्य राजस्व-संग्रह नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सुझाव दिया है कि वित्तीय निरुत्साहन लगाते समय उल्लंघन की महत्वपूर्णता, अनुपालन न करने के प्रभाव तथा सेवा प्रदाताओं के अनुपालन अभिलेख जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, तथा वास्तविक मामलों में वित्तीय निरुत्साहनों के स्थान पर परामर्श या चेतावनी तंत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहाँ तक जन विश्वास पहल तथा ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस एजेंडा के साथ समन्वय का प्रश्न है, प्राधिकरण का मत है कि एक पूर्वानुमेय, पारदर्शी तथा समानुपातिक प्रवर्तन रूपरेखा विनियामक निश्चितता को सुदृढ़ करती है और अंततः व्यवसाय करने की सुगमता को समर्थन प्रदान करती है। वित्तीय निरुत्साहन रूपरेखा का उद्देश्य राजस्व अर्जित करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल समयबद्ध अनुपालन को प्रोत्साहित करना तथा सेवा प्रदाताओं के बीच विनियामक निगरानी सुनिश्चित करना है।
28. उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्राधिकरण का मत है कि तीन प्रमुख उपायों—अर्थात् उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर क्रमिक (ग्रेडेड) रूप से वित्तीय निरुत्साहन आरोपित करना, वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि पर अधिकतम सीमा निर्धारित करना तथा वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान में विलंब या चूक की स्थिति में ब्याज लगाना—को लागू करने से विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने में वित्तीय निरुत्साहनों की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी और निष्पक्षता तथा समानुपातिकता को बनाए रखते हुए प्रवर्तन को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
29. मूल टैरिफ आदेश के खंड 7ए का विलोपन: प्राधिकरण का मत है कि सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग की सटीकता के लिए आचार संहिता) विनियम, 2023 (2023 का 03) के विनियम 9(2) के अंतर्गत समान प्रकार का वित्तीय निरुत्साहन प्रावधान पहले से विद्यमान होने के कारण तथा दोनों प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय निरुत्साहन आरोपित करने में संभावित दोहराव या किसी प्रावधान के अंतर्गत वित्तीय निरुत्साहन आरोपित न हो पाने की संभावना से बचने के लिए, मूल टैरिफ आदेश के खंड 7ए को समाप्त करना उचित होगा। यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है, क्योंकि मीटरिंग और बिलिंग लेखापरीक्षा उक्त विनियमों के माध्यम से की जाती है और अतिरिक्त शुल्क की पहचान भी उन्हीं विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

अस्वीकरण: यह दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2026 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2026 का हिन्दी अनुवाद है। किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी में लिखा गया दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2026 मान्य होगा।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2026

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SEVENTY SECOND AMENDMENT) ORDER, 2026

(No. 01 of 2026)

F. No. M-6/(2)/2023-FEA-I—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely: -

1. (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Seventy Second Amendment) Order, 2026.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 7 of the Telecommunication Tariff Order, 1999 (hereinafter referred to as the “principal tariff order”)-

(a) for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted namely:-

“(iii) If a service provider fails to comply with the Reporting Requirement, it shall, without prejudice to the terms and conditions of its licence, or the provisions of the Act or rules or regulations or orders made, or directions issued, thereunder, be liable to pay, by way of financial disincentive, an amount of ten thousand rupees, for every day of delay for the first seven days and, in case the contravention continues beyond seven days, an additional amount of twenty thousand rupees for each subsequent day of delay during which the default continues, subject to a maximum of five lakh rupees, as the Authority may, by order, direct;

Provided that no order for payment of any amount by way of financial disincentive shall be made by the Authority unless the service provider has been given a reasonable opportunity of representing against the contravention of the tariff order observed by the Authority;

Provided further that the Authority may waive the financial disincentive or impose a lower amount of financial disincentive where it finds merit in the reasons furnished by the service provider”.

(b) after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(iv) If a service provider fails to pay the amount of financial disincentive under sub-clause (iii) within the period stipulated in the order for payment of financial disincentive, it shall be liable to pay simple interest on the outstanding amount of financial disincentive, at a rate which shall be two percent above the one year Marginal Cost of Lending Rate of State Bank of India applicable at the beginning of the financial year in which last day of the stipulated period falls.

Explanation: For the purposes of this sub-clause, a part of the month shall be reckoned as a full calendar month for the purpose of calculation of interest, and a month shall be reckoned as an English calendar month.”

3. Clause 7A of the principal tariff order shall be deleted.

D. MANOJ, Pr. Advisor (F&EA)

[ADVT.-III/4/Exty./783/2025-26]

Note.1. – The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No. 99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below:

Amendment No.	Notification No. and Date
1st	301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.03.1999
2nd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.05.1999
3rd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.05.1999

4th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.07.1999
5th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.09.1999
6th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.09.1999
7th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.03.2000
8th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.07.2000
9th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.08.2000
10th	306-1/99-TRAI(Econ) dated 09.11.2000
11th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.01.2001
12th	303-1/2000-TRAI(Econ) dated 25.01.2001
13th	303-4/TRAI-2001 dated 01.05.2001
14th	306-2/TRAI-2001 dated 24.05.2001
15th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.07.2001
16th	310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14.08.2001
17th	301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.01.2002
18th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.01.2002
19th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.02.2002
20th	312-7/2001-TRAI(Econ) dated 14.03.2002
21st	301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.06.2002
22nd	312-5/2002-TRAI(Eco) dated 04.07.2002
23rd	303/8/2002-TRAI(Econ) dated 06.09.2002
24th	306-2/2003-Econ dated 24.01.2003
25th	306-2/2003-Econ dated 12.03.2003
26th	306-2/2003-Econ dated 27.03.2003
27th	303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.04.2003
28th	301-51/2003-Econ dated 05.11.2003
29th	301-56/2003-Econ dated 03.12.2003
30th	301-4/2004(Econ) dated 16.01.2004
31st	301-2/2004-Eco dated 07.07.2004
32nd	301-37/2004-Eco dated 07.10.2004
33rd	301-31/2004-Eco dated 08.12.2004
34th	310-3(1)/2003-Eco dated 11.03.2005
35th	310-3(1)/2003-Eco dated 31.03.2005
36th	312-7/2003-Eco dated 21.04.2005
37th	312-7/2003-Eco dated 02.05.2005
38th	312-7/2003-Eco dated 02.06.2005
39th	310-3(1)/2003-Eco dated 08.09.2005
40th	310-3(1)/2003-Eco dated 16.09.2005
41st	310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005
42nd	301-34/2005-Eco dated 07.03.2006
43rd	301-2/2006-Eco dated 21.03.2006

44th	301-34/2006-Eco dated 24.01.2007
45th	301-18/2007-Eco dated 05.06.2007
46th	301-36/2007-Eco dated 24.01.2008
47th	301-14/2008-Eco dated 17.03.2008
48th	301-31/2007-Eco dated 01.09.2008
49th	301-25/2009-ER dated 20.11.2009
50th	301-24/2012-ER dated 19.04.2012
51st	301-26/2011-ER dated 20.04.2012
52nd	301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012
53rd	301-39/2012-F&EA dated 01.10.2012
54th	301-59/2012-F&EA dated 05.11.2012
55th	301-10/2012-F&EA dated 17.06.2013
56th	301-26/2012-ER dated 26.11.2013
57th	312-2/2013-F&EA dated 14.07.2014
58th	312-2/2013-F&EA dated 01.08.2014
59th	310-5 (2)/2013-F&EA dated 21.11.2014
60th	301-16/2014-F&EA dated 09.04.2015
61st	301-30/2016-F&EA dated 22.11.2016
62nd	301-30/2016-F&EA dated 27.12.2016
63rd	312-1/2017-F&EA dated 16.02.2018
64th	301-20/2018-F&EA dated 24.09.2018
65th	301-03/2020-F&EA dated 03.06.2020
66th	C-3/7/(5)/2021-FEA-I dated 27.01.2022
67th	C-3/7/(5)/2021-FEA-I dated 31.03.2022
68th	C/(5)/2021-FEA-II dated 07.04.2022
69th	C/(2)/2021-FEA-I dated 06.12.2022
70th	RG-13/1/(1)/2023-ADV_FEA-I dated 23.12.2024
71st	RG-(6)/2024-FEA-II dated 16.06.2025

Note 2.— The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Seventy Second Amendment) Order, 2026.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Introduction and Background

1. Section 11(2) of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 empowers the Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”) to notify rates for various telecommunication services. In exercise of these powers, the Authority has been notifying tariffs for telecommunication services including national roaming services.
2. The tariff regulation for the telecommunication services in India was initiated with the notification of Telecommunication Tariff Order, 1999 (hereinafter referred to as the “TTO, 1999”). This tariff order provided broad and long-term policy framework for telecommunication services in the country. The tariff reforms initiated vide TTO, 1999, aimed to provide a consistent and transparent framework for regulating tariffs in order to, *inter alia*, achieve affordable prices through regulation and/or competition; enhance transparency of subsidies and provide a basis for better targeting the policies to achieve social objectives; and improve the availability of services to the customer.
3. TRAI has moved over the years, from a stage of ‘fixation of tariff rates’ to stage of ‘forbearance with prior approval stage’ and finally to a stage of ‘forbearance regime with post-facto reporting obligation’ with

- regulatory oversight. At present, tariffs for telecommunication services are under forbearance except for Rural Fixed Line Services, National Roaming Services, Mobile Number Portability, Leased Circuits, Unstructured Supplementary Service Data (USSD).
4. Forbearance of tariff for a service denotes that TRAI has not, for the time being, notified any tariff for that particular telecommunication service and the service providers are free to fix tariff for such service with the prescribed reporting requirements. Tariff forbearance has never been and is not a permanent policy followed by TRAI. It is always open to the Authority to withdraw, wholly or partly, from the forbearance regime, including the option to change the reporting requirements, if the situation so demands. There are already precedents wherein the Authority had stepped in to determine tariff in respect of services, which were initially kept under forbearance.
 5. A perusal of above provision shows that discretionary power has been conferred upon TRAI. However, the adoption of forbearance based on prevailing market scenario has had significant impact on the structure and functioning of the telecom market over the period.
 6. The policy of forbearance has allowed telecom service providers the freedom to set tariffs. This has resulted in emergence of new and innovative products in the market that are designed to provide telecom services at affordable and competitive prices to the consumers. In this sense, forbearance has supported the broader policy objective of expanding digital connectivity and promoting a consumer-driven telecom ecosystem.
 7. In light of the above, it is evident that while tariff forbearance provides flexibility and promotes competition and innovation, it does not confer any vested right upon service providers. Forbearance is a policy tool adopted by the Authority to serve broader public interest objectives and may be reviewed or modified at any time, depending on market conditions and emerging risks. Further, tariff forbearance does not imply regulatory inaction. The Authority may intervene at any time, by moving to a prior approval regime for tariff fixation.
 8. The forbearance regime may result in anti-competitive practices in concentrated markets, where dominant operators could offer unsustainable low prices to eliminate smaller rivals, reducing competition and choice. This raises the probability of recoupment where dominant operators later hike prices to monopoly levels and recover losses.
 9. Considering the above, the tariff filing cannot be regarded as a minor or technical requirement. Rather, it is a critical regulatory obligation that forms the backbone of the forbearance policy. Under this framework, the Authority mandates service providers to report new tariff offers or changes therein within seven working days of implementation.
 10. In the year 2012, the Authority observed that the prescribed timelines for reporting tariff were not being taken very seriously by the service providers and were to the prejudice of those service providers who regularly filed their tariffs on time. The non-adherence of timelines in tariff reporting deprived the Authority of the timely opportunity to intervene in case the tariff in question was found to be inconsistent with regulatory guidelines and/ or adversely affected the interest of consumers. The Authority, therefore, decided to introduce a financial disincentive for each day of delay of a tariff report subject to a cap of Rs 2 lakhs for each instance of delay. Accordingly, the sub-clause (iii) in Clause 7 was inserted.
 11. Further, clause 7A was inserted specifying the financial disincentives payable by service providers for levy of excess Charges from consumers. Under this clause, it was decided that in cases where it came to notice of the Authority that excess charges have been levied in violation of the provisions of TTO, 1999 and other regulatory guidelines and the same was ordered to be refunded to the affected subscribers, the service providers shall, in addition to such refund, remit to TRAI, by way of financial disincentive, an amount not exceeding the total of such excess amount charged from subscribers.

Draft Telecommunication Tariff (72nd Amendment) Order:

12. With the intent to amend relevant regulatory provisions to strengthen the effectiveness of financial disincentives in ensuring regulatory compliance, the Authority has come up with this draft Telecommunication Tariff (72nd Amendment) Order. The draft consultation involved prescribing a maximum ceiling, implementing financial disincentive in a graded manner in consonance with gravity of contravention, and imposing interest on default in payment of financial disincentive.
13. The Authority issued the draft Telecommunication Tariff (72nd Amendment) Order, 2025 on 16.10.2025. The draft proposed the following provisions on financial disincentive:

“(a) for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted namely:-

- (iii) If any service provider fails to comply with the Reporting Requirement, it shall, without prejudice to the terms and conditions of its licence, or the provisions of the Act or rules or regulations or orders made, or directions issued, thereunder, be liable to pay, by way

of financial disincentive, an amount of ten thousand rupees, for every day of delay for the first seven days and, in case the contravention continues beyond seven days, an additional amount of twenty thousand rupees for each subsequent day of delay during which the default continues, subject to a maximum of five lakh rupees, as the Authority may, by order, direct:

Provided that no order for payment of any amount by way of financial disincentive shall be made by the Authority, unless the service provider has been given a reasonable opportunity of representing against the contravention of the tariff order observed by the Authority:

Provided further that the Authority may waive the financial disincentive or impose a lower amount of financial disincentive where it finds merit in the reasons furnished by the service provider;

(b) after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

- (iv) In case a service provider fails to pay the amount of financial disincentive under sub-clause (iii) within the period stipulated in the order for payment of financial disincentive, it shall be liable to pay interest on the outstanding amount of financial disincentive, at a rate which shall be two percent (2%) above the one year Marginal Cost of Lending Rate of State Bank of India applicable at the beginning of the Financial Year in which last day of the stipulated period falls.

Explanation: For the purposes of this sub-clause, a part of the month shall be reckoned as a full calendar month for the purpose of calculation of interest and a month shall be reckoned as an English calendar month.

3. Clause 7A of the principal tariff order shall be deleted.”

14. Stakeholders were invited to submit their comments on the draft TTO by 07.11.2025. In response to the draft consultation, comments were received from various stakeholders viz. telecom service providers, associations, and other stakeholders.

Examination of stakeholders' comments and Telecommunication Tariff (72nd Amendment) Order

15. The Authority has examined the comments received from stakeholders on the proposed amendment to the financial disincentive framework. The comments received from the stakeholders on the draft TTO and the examination/ analysis of the Authority are given in the subsequent points.
16. In support of the draft Telecommunication Tariff (72nd Amendment) Order, one of the stakeholders has submitted that the proposed amendments are aimed at strengthening the existing regulatory framework by enhancing the effectiveness of financial disincentives as a tool for ensuring regulatory compliance. The stakeholder has also mentioned that the introduction of a graded financial disincentive structure is consistent with the principles of fairness and proportionality, as it seeks to align the quantum of disincentives with the gravity of the contravention rather than adopting a uniform or arbitrary approach.
17. A few of the stakeholders have further appreciated the proposal to prescribe a maximum ceiling on financial disincentives, implement graded disincentives based on the severity of non-compliance, and levy interest in cases of delayed payment. Additionally, the proposed deletion of Clause 7A has been viewed positively by the stakeholders, citing that it will remove regulatory overlap and avoid duplication, thereby simplifying compliance obligations.
18. On the other hand, some stakeholders have expressed concerns regarding the lack of transparency and justification for the proposed changes. In this regard, the Authority is of the view that introducing graded financial disincentives shall ensure that the penalty imposed is proportionate to the gravity of the contravention, the intent of the service provider, and the impact of the violation. Graded financial disincentive shall link the disincentive to the nature and seriousness of non-compliance, rather than applying a uniform penalty. Such an approach is essential to maintain the integrity of the regulatory framework and encouraging stakeholders to adhere to prescribed standards. Specifying a ceiling on the total financial disincentive helps prevent excessively high penalties or punitive outcomes, particularly in cases of minor or unintentional violations. A capped framework ensures that financial disincentives act as an effective deterrent without causing undue financial stress to service providers, especially smaller entities, thereby safeguarding service continuity and consumer interest. Further, the proposal to levy interest on delayed or non-payment of financial disincentives is intended to discourage intentional delays and ensure timely compliance with regulatory orders. This measure not only promotes timely and responsible financial conduct but also reinforces the importance of adhering to regulatory obligations. Similar approaches are already being followed in other regulations issued by the Authority and is also consistent with the framework prescribed under the Telecommunications Act, 2023.
19. A few stakeholders have expressed concern regarding effectiveness of the existing measures. In this regard,

the Authority is of the opinion that the present order will strengthen the relevant regulatory provisions by enhancing the effectiveness of financial disincentives in securing compliance. The amendments, *inter alia*, provide for prescribing an appropriate ceiling, introducing a graded structure aligned with the gravity of the contravention, and levying interest in cases of delay in payment of financial disincentives. The Authority strongly feels that that tariff filing cannot be treated as a minor or merely procedural requirement. On the contrary, it constitutes a fundamental regulatory obligation and forms the backbone of the forbearance regime. Any lapse in timely and accurate reporting has wider implications, as it directly affects consumers and the orderly functioning of the market. Accordingly, stricter adherence to tariff reporting requirements is necessary to enable the Authority to examine tariffs against the core principles of transparency, non-discrimination, and non-predation without delay.

20. A few stakeholders have contended that the TRAI Act, 1997 does not confer upon the Authority any power to impose pecuniary penalties or financial disincentives by way of delegated legislation. In this regard, reference is drawn towards the TRAI Act, 1997 which confers power on the Authority not only to regulate but also to ensure the compliance of the provisions of the regulations and Tariff Orders. The word “ensure” has mandatory connotation, it means “make certain”. Furthermore, the Hon’ble Supreme Court, in its judgment dated the 17, August, 2007, in Civil Appeal No. 2104/2006 (Central Power Distribution Co. & Ors Vs. CERC & Anr), *inter alia*, held that “it is well settled that a power to regulate includes within it power to enforce”. The main purposes for enactment of the TRAI Act, 1997, as discernable from the preamble thereof, and as applicable to TRAI are (a) to regulate telecommunication services : (b) to protect the interest of the service providers and consumers of telecommunication services; and (c) to ensure orderly growth of telecom sector. From the reading of the various provisions of TRAI Act, 1997 it is clear that protection of the interest of the consumers has been given paramount importance by the legislature.
21. Apart from casting duty on the Authority to protect the interest of the consumer, TRAI Act under section 11 (1)(d) confers power on TRAI to perform such other functions including such administrative and financial functions as may be necessary to carry out the provisions of the Act. There are a catena of judgments by the Supreme Court wherein the Hon’ble Court has repeatedly re-stated the proposition that legislation should be read and interpreted so as to further the purpose of its enactment and not in a manner that derogates from its main objectives. The Hon’ble Supreme Court in its judgment in the case of State of Karnataka Vs. Vishwabharthi House Building Co-operative Societies and Ors. [(2004) 5 SCC 430], has referred the judgment of Hon’ble Guwahati High Court in the case of Arabind Das Vs. State of Assam & Ors. [AIR 1981 Gau 18 (FB)] wherein it was, *inter alia*, held that where a statute gives a power, such power implies that legitimate steps may be taken to exercise that power even though these steps may not be clearly spelt out in the statute. The Hon’ble Court further held that in determining whether a power claimed by a statutory authority can be held to be incidental or ancillary to the powers specially conferred by the statute, the court must not only see whether the power may be derived by reasonable implication from the provisions of the statute, but also whether such powers are necessary for carrying out the purposes of the provision of the statute which confers power on the Authority in exercise of such powers.
22. It is also worthwhile to mention over here the judgment of the Hon’ble Supreme Court in U.P. Cooperative Cane Unions Federations Vs. West U.P. Sugar Mills Association & Ors. (AIR 2004 SC 3697) wherein the Hon’ble Court, *inter alia*, held that the word to regulate is a phrase of broad impact having a wide meaning comprehending all facets not only specifically enumerated in the Act, but also embraces within its fold the powers incidental to the regulation envisaged in good faith and its meaning has to be ascertained in the context in which it is being used and the purpose of the statute. The Hon’ble Court held that even when the power to fix tariff was not expressly given in the Act, the power to regulate the price of sugar cane would include in itself the power to fix tariff. In other words, even a power not explicitly vested with the Authority would be held so vested, if it was intrinsic to the exercise of larger, general power to regulate.
23. In view of the above, the Authority has power to impose financial disincentives on the service provider for non-compliance of the provisions of the regulations and tariff orders. It is also relevant to mention that the Authority has exercised this power by imposing financial disincentives for contravention of relevant provisions of telecommunications tariff orders.
24. A few stakeholders have submitted that the proposed enhancement of financial disincentives is disproportionate and that the existing ceilings and rates should either continue or be rationalised. In this regard, the Authority is of the view that the proposed structure is proportionate and essential for upholding TRAI’s core mandate. The financial disincentive mechanism works on a seven-day reporting period, with escalating penalties to ensure prompt compliance. For the initial delay upto seven days, a financial disincentive of Rupees Ten Thousand will be applicable. For subsequent delay beyond seven days, an additional amount of Rupees Twenty Thousand will be applicable. This graduated approach provides clear grace periods while imposing progressively stronger deterrents. The Authority is further of the view that the financial disincentives are neither excessive nor arbitrary, these are directly calibrated to the criticality of tariff reporting. Any delay in reporting tariff to the Authority could undermine the principles of tariff

- assessment viz. non-discrimination, non-predation and transparency. Since tariffs directly affect consumers nationwide, delays in reporting evade regulatory scrutiny, potentially enabling discriminatory practices, predation, and thereby widening of rural-urban digital divides. The Authority feels that this framework of financial disincentives would ensure timely compliance of reporting vital for affordability and competition.
25. Some stakeholders submitted that first-time or inadvertent delays should be viewed as minor procedural lapses and that financial disincentives should primarily apply in cases of repeated or deliberate non-compliance. In this regard, the order already contains a provision under which the Authority may waive the financial disincentive or impose a reduced amount, where it finds merit in the reasons furnished by the service provider. This clause will act as a safety valve in regulatory enforcement, as it will avoid one-size-fits-all penalties.
 26. It further takes care of the suggestions made by the stakeholders that materiality, impact of non-compliance, and the compliance track record of service providers be considered while imposing the financial disincentive. This clause will allow waiving the financial disincentive entirely or reducing its amount if the service provider submits reasons that the Authority deems cogent. This balances strict compliance with fairness, preventing undue hardship on the service providers while maintaining regulatory goals.
 27. Stakeholders have also emphasized the need to align the proposed framework with broader policy objectives such as the Jan Vishwas Bill, 2025 and the Ease of Doing Business agenda, clarifying that financial disincentives should not be revenue oriented. Additionally, they have suggested that factors such as materiality, impact of non-compliance, and the compliance track record of service providers be considered, with advisory or warning mechanisms preferred over financial disincentives in genuine cases. As regards alignment with the Jan Vishwas initiative and the Ease of Doing Business agenda, the Authority is of the view that a predictable, transparent, and proportionate enforcement framework enhances regulatory certainty and ultimately supports ease of doing business. The financial disincentive framework is not intended to be revenue-generating but is designed solely to promote timely compliance and ensure a regulatory oversight among service providers.
 28. In view of the above, the Authority is of the opinion that introducing the three key measures viz. imposing financial disincentives in a graded manner based on the seriousness of the violation, specifying a maximum ceiling on the total amount of financial disincentive and levying interest in cases of delay or default in payment shall enhance the effectiveness of financial disincentives in ensuring regulatory compliance and improve enforcement while maintaining fairness and proportionality.
 29. Deletion of Clause 7A of principal tariff order: The Authority is of the view that due to the existence of similar financial disincentive provision under regulation 9(2) of Quality of Service (Code of Practice for Metering and Billing Accuracy) Regulations, 2023 (03 of 2023) and to avoid possibility of duplicacy or missing out of imposition of financial disincentive by both the provisions, it will be prudent to do away with Clause 7A of the principal tariff order. This is a pragmatic approach since the Metering and Billing Audit is conducted through the afore-mentioned regulation and excess charges are detected under the provisions of the said regulations.